उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर–थानों रोड, निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज,
देहरादून–248008

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in E- mail: chayanayog@gmail.com

विज्ञापन संख्या: 72/उ0अ0से0च0आ0/2025 दिनांक: 02 जून, 2025

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राज्य/जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	02 जून, 2025
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि	09 जून, 2025
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	03 जुलाई, 2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि	06 जुलाई से 08 जुलाई, 2025 तक
लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि	अक्टूबर, 2025

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राज्य/जिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर दिनांक 03 जुलाई, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	पदनाम/विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड	01
2	न्यायिक सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड	02
3	सामान्य सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड	01
4	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नैनीताल	01
5	सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड	19
कुल योग		**24**

A- पदनाम– **अध्यक्ष**

पदकोड–UFC/SC/01/72/2025 **कुल पद–01**

(i) रिक्ति का विवरण:–

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	पदों की संख्या
1	अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	अनारक्षित	01

(ii) वेतनमान:–

(क) राज्य आयोग का अध्यक्ष, राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करेगा।

(ख) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी।

(iii) आयु सीमाः— अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष।

(iv) पद का स्वरूपः— स्थाई (चार वर्ष अधिकतम)।

(v) राज्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अर्हताएं—

(क) कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।

B- पदनाम— न्यायिक सदस्य

पदकोड— UFC/SMJ/02/72/2025 **कुल पद—02**

(i) रिक्ति का विवरणः—

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	पदों की संख्या
1	न्यायिक सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	अनारक्षित	02

(ii) वेतनमानः—

(क) राज्य आयोग का सदस्य, राज्य सरकार के अपर सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुमेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा।

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी।

(ग) सदस्य के वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी।

(iii) आयु सीमाः— 40 वर्ष से 65 वर्ष।

(iv) पद का स्वरूपः— स्थाई (चार वर्ष अधिकतम)।

(v) राज्य आयोग के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं—

(क) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

C- पदनाम— सामान्य सदस्य

पदकोड— UFC/SMG/03/72/2025 **कुल पद—01**

(i) रिक्ति का विवरणः—

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	पदों की संख्या
1	सामान्य सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	अनारक्षित	01

(ii) वेतनमानः—

(क) राज्य आयोग का सदस्य, राज्य सरकार के अपर सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुमेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा।

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी।

(ग) सदस्य के वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी।

(iii) आयु सीमाः— 40 वर्ष से 65 वर्ष।

(iv) पद का स्वरूपः— स्थाई (चार वर्ष अधिकतम)।

(v) राज्य आयोग के सामान्य सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं—

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

D- पदनाम— अध्यक्ष

पदकोड— UFC/DC/04/72/2025 **कुल पद—01**

(i) रिक्तियों का विवरणः—

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	पदों की संख्या
1	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	अनारक्षित	01

(ii) वेतनमानः—

(क) अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा, जो किसी जिला न्यायाधीश को अतिकाल वेतनमान में अनुज्ञेय है।

(ख) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी।

(ग) अध्यक्ष के वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी।

(iii) आयु सीमाः— अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष।

(iv) पद का स्वरूपः— स्थाई (चार वर्ष अधिकतम)।

(v) जिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अर्हताएं—

(क) कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अथवा होने के लिए अर्ह न हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।

E- पदनाम— सदस्य

पदकोड— UFC/DM/05/72/2025 **कुल पद—19**

(i) रिक्तियों का विवरणः—

क्र0 सं0	पदनाम / विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	पदों की संख्या
1	सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	अनारक्षित	19

(ii) वेतनमानः—

(क) सदस्य, राज्य सरकार के किसी उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा।

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी।

(ग) सदस्य के वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी।

(iii) आयु सीमाः— 35 वर्ष से 65 वर्ष।

(iv) पद का स्वरूपः— स्थाई (चार वर्ष अधिकतम)।

(v) जिला आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं—

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, और क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

03. अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ, वर्णात्मक व साक्षात्कार प्रकार की Offline mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही Phone/Mobile Number व E-Mail भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** को समय–समय पर देखते रहें।

04. **प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रकार, अंक विभाजन व समयावधि का विवरणः–**

पेपर	विषय	परीक्षा की प्रकृति	अधिकतम अंक	अवधि
प्रथम प्रश्न–पत्र	(क) सामान्य ज्ञान और सामयिक मामले (ख) भारत के संविधान का ज्ञान (ग)अनुसूची में यथा उपदर्शित विभिन्न उपभोक्ता संबंधी विधियों का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ प्रकार	100	2 घंटे
द्वितीय प्रश्न–पत्र	(क)व्यापार और वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मुददों या सार्वजनिक मामलों से चुने गए विषयों पर एक निबंध (ख)आदेशों के विश्लेषण और तर्कपूर्ण प्रारूपण की योग्यताओं का परीक्षण करने के लिए उपभोक्ताओं मामले के संबंध में एक मामला अध्ययन।	वर्णनात्मक प्रकार	100	3 घंटे
साक्षात्कार		50 अंक		

नोट 1:– लिखित प्रतियोगी परीक्षा का माध्यम हिन्दी व अंग्रेजी होगा।

नोट 2:– लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही द्वितीय प्रश्न–पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रश्न–पत्र में अर्हक अंक 50 प्रतिशत होंगे।

नोट 3:– अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, न्यायिक सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सामान्य सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु 02 प्रश्न–पत्र और अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु 02 प्रश्न–पत्र भिन्न–भिन्न होंगे।

05. लिखित प्रतियोगी परीक्षाः–

(i) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(ii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट (तीन प्रतियों) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल

प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iii) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम सही का चयन करना है।

(iv) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है और दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा।

(v)ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है।

(vi)यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ0एम0आर0 शीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ0एम0आर0 शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

06. <u>अधिमानः</u>— प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा(आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा)। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

07. <u>आयुः</u>—

उपरोक्त सभी पदों हेतु **आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2025 हैं।**

08. <u>अनापत्ति प्रमाण—पत्रः</u>—

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

09. <u>राष्ट्रीयताः</u>— भारतीय।

10. <u>चरित्रः</u>—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य—व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

11. <u>वैवाहिक प्रास्थितिः</u>—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

12. <u>चिकित्सक दृष्टता योग्यता:—</u>

किसी भी व्यक्ति को तब तक अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किए गए किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित नहीं किया जाता।

13. <u>ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के चरण:—</u>

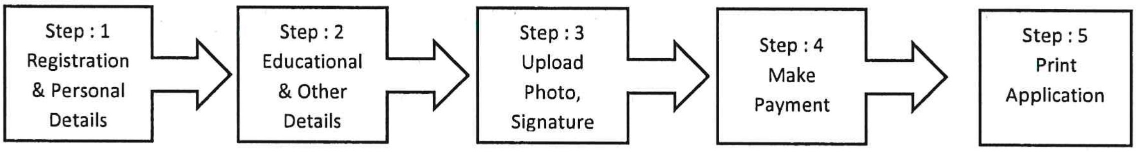

i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ई—मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ई—मेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।

ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई—मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यू0के0एस0एस0एस0सी0 द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझाा जाएगा।

iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग—इन के लिए आवश्यक है।

v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px) और हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0/जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।

vi. आवेदन—पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नैट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएग

vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें <u>chayanayog@gmail.com</u> पर ई—मेल करें।

viii. अपरिहार्य कारणों से यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही या ईमेल—आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबमिट किए गए आवेदन भरें जाते है, तो उसके द्वारा भरा गया अन्तिम आवेदन मान्य होगा।

ix. यदि अभ्यर्थी के आवेदन—पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।

x. अभ्यर्थी के आवेदन—पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन—पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।

xi. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।

xii. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार

के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।

xiii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

14. शुल्कः–

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य हैः–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क (रू0)
01	अनारक्षित/समस्त	300.00

नोटः–निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा।

15. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो को पढ़ेः–

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण–पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(2) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा अन्यथा सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।

(3) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नही होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सन्निरीक्षा के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नही था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(5) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(7)आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(8) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(9) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सन्निरीक्षा के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(10) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नही होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सही नाम अंकित न करने के परिणामस्वरूप जारी त्रुटिपूर्ण प्रवेश–पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

(11) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई–मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नही है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे।

(12) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(13) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नही होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(14) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(15) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(16) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के

उपाय) अधिनियम–2023 अधिनियमित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

कोई भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप, कम्प्यूटर को प्रभावित करने का कोई उपकरण) इत्यादि उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा। उक्त अधिनियम का उल्लघंन करने वाले पर उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की की जाएगी।

(हिमांशु कफल्टिया)
प्रभारी सचिव।